

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-106/2020-21

छोटानागापुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

सम्पति देवी वगैरह बनाम अश्विनी कुमार महतो

07.01.21

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

1.सम्पति देवी पति-धनन्जय महतो, ग्राम-दानाडीह, पो०-दानाडीह, थाना-सोनाहातु, 2.बाला देवी पति-दिलेश्वर महतो, ग्राम-भिटुडीह (सेरेंगडीह) थाना-तमाड़, जिला-राँची, दोनो जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी।

क्रेता का नाम एवं पता -

अश्विनी कुमार महतो पिता-श्रीनाथ महतो, ग्राम-जामडीह, उलिलोहर, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-05/12/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता अश्विनी कुमार महतो पिता-श्रीनाथ महतो, ग्राम-जामडीह, उलिलोहर, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बारुहातु	सोनाहातु/60	126	1457	05 डी० चौहद्दी:- उ०-नीज विक्रेता। द०-नारायण महतो। पू०-विमला देवी। प०-प्रस्तावित रास्ता।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक-08(ii) दिनांक-04/01/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत भवन महतो वगैरह के नाम से दर्ज है।
- (2) खतियानी रैयत/पंजी-II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पिता-पुत्री का है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम राधा मोहन महतो वगैरह है। तथा रैयत के पास कुल रकबा-13.48 एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2009 तक वसूली गयी है।
- (5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पिता-पुत्री का है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-6.69 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को मकान बनाने हेतु बिक्री कर रही है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता 1.सम्पति देवी पति-धनन्जय महतो, ग्राम-दानाडीह, पो०-दानाडीह, थाना-सोनाहातु, 2.बाला देवी पति-दिलेश्वर महतो, ग्राम-भिटुडीह (सेरेंगडीह) थाना-तमाड़, जिला-राँची, दोनो जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी, को क्रेता अश्विनी कुमार महतो पिता-श्रीनाथ महतो, ग्राम-जामडीह, उलिलोहर, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-05/12/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता 1.सम्पति देवी पति-धनन्जय महतो, ग्राम-दानाडीह, पो०-दानाडीह, थाना-सोनाहातु, 2.बाला देवी पति-दिलेश्वर महतो, ग्राम-भिटुडीह (सेरेंगडीह) थाना-तमाड़,

जिला-राँची, दोनो जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी, को क्रेता अश्विनी कुमार महतो पिता-श्रीनाथ महतो, ग्राम-जामडीह, उलिलोहर, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बारुहातु	सोनाहातु/60	126	1457	05 डी० <u>चौहददी:-</u> उ०-नीज विक्रेता। द०-नारायण महतो। पू०-विमला देवी। प०-प्रस्तावित रास्ता।

लेखापित एवं संशोधित।

8:01/01
भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।

8:01/01
भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।